"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 221] रायपुर, सोमवार, दिनांक 4 जुलाई 2011—आषाढ़ 13, शक 1933

आदिमजाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 4 जुलाई 2011

अधिसूचना

सेवा भर्ती नियम—2011

क. एफ. 1—29/2008/25—1.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ अनुसूचित जनजाति तथा अनुसूचित जाति विकास अधीनस्थ (तृतीय वर्ग अलिपिक वर्गीय) सेवा में भर्ती से संबंध में निम्नलिखित नियम बनाते है, अर्थात् :—

नियम

1. **संक्षिप्त नाम ..था प्रारंभ—(1)** ये नियम छत्तीसगढ़ अनुसूचित जनजाति तथा अनुसूचित जाति विकास, अधीनस्थ सेवा (तृतीय वर्ग अलिपिक वर्गीय) भर्ती नियम, 2011 कहलायेंगे।

   (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. **परिभाषाएं** :— इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो—

   (क) सेवा या पद के संबंध में "नियुक्ति प्राधिकारी" से अभिप्रेत है; ऐसा प्राधिकारी जिसे शासन द्वारा सेवा या पद पर नियुक्ति करने की शक्ति सौंपी गई हो ;

(ख) "मण्डल" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ राज्य व्यावसायिक परीक्षा मण्डल या नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा गठित विभागीय समिति ;

(ग) "सरकार" से अभिप्रेत छत्तीसगढ़ सरकार ;

(घ) "राज्यपाल" से अभिप्रेत, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल ;

(ड.) "परीक्षा" से अभिप्रेत है, नियम 11 के अधीन भर्ती के लिए संचालित प्रतियोगीता परीक्षा ;

(च) "विभागीय परीक्षा" से अभिप्रेत है, विभाग के कर्मचारियों से किसी विशिष्ट पद को नियुक्ति या पदोन्नति से भरने के लिए संचालित की जाने वाली, परीक्षा;

(छ) "अनुसूची" से अभिप्रेत है, इन नियमों से संलग्न अनुसूची;

(ज) "अनुसूचित जाति" से अभिप्रेत है भारत के संविधान के अनुच्छेद–341 के अधीन इस राज्य के संबंध में यथाविनिर्दिष्ट अनुसूचित जाति ;

(झ) "अनुसूचित जनजाति" से अभिप्रेत है, भारत के संविधान के अनुच्छेद–342 के अधीन इस राज्य के संबंध में यथाविनिर्दिष्ट अनुसूचित जनजाति ;

(ञ) " अन्य पिछड़े वर्ग " से अभिप्रेत है, राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर यथासंशोधित अधिसूचना कमांक एफ 8–5 पच्चीस 4–84, तारीख 26 दिसम्बर 1984 द्वारा यथाविनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्ग;

(ट) "सेवा" से अभिप्रेत छत्तीसगढ़ अनुसूचित जनजाति तथा अनुसूचित जाति विकास अधीनस्थ (तृतीय वर्ग अलिपिक वर्गीय) सेवा ;

(ठ) "राज्य" से अभिप्रेत छत्तीसगढ़ राज्य ।

3. **विस्तार तथा लागू होना** – छत्तीसगढ़ सिविल (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 में अंतर्विष्ट उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ये नियम सेवा के प्रत्येक सदस्य को लागू होंगे।

4. **सेवा का गठन** – सेवा में निम्नलिखित व्यक्ति होंगे, अर्थात्:–

(एक) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारंभ होने के समय, अनुसूची –एक में विनिर्दिष्ट पद को मूलतः धारण कर रहे हों ;

(दो) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारंभ होने के पूर्व सेवा में भर्ती किए गए हो ; और

(तीन) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के उपबंधों के अनुसार सेवा में भर्ती किए गए हों।

5. **वर्गीकरण, वेतनमान इत्यादि**– सेवा का वर्गीकरण, उससे संलग्न वेतनमान तथा सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या अनुसूची–एक में अंतर्विष्ट उपबंधो के अनुसार होगी।

परंतु सरकार, सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या में, वेतनमान में समय–समय पर या तो स्थायी या अस्थायी तौर पर, वृद्धि या कमी कर सकेगी।

6. **भर्ती का तरीका** – (1) इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात् सेवा में भर्ती, निम्नलिखित तरीकों से की जायेगी, अर्थात् :–

(क) अनुसूची–दो के कॉलम (4) में दर्शाये अनुसार प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से या चयन द्वारा या दोनों के द्वारा, सीधी भर्ती द्वारा ;

(ख) अनुसची–चार के कॉलम (2) में दर्शाए गए अनुसार पदोन्नति द्वारा;

(ग) ऐसे व्यक्तियों के स्थानान्तरण द्वारा जो ऐसी सेवाओं में ऐसे पदों को मूल हैसियत में धारण करते हों, जैसा कि अनसूची–दो में विनिर्दिष्ट हों।

(2) उप–नियम (1) के खण्ड (ख) या खंड (ग) के अधीन भर्ती किए गए व्यक्तियों की संख्या, अनुसूची–एक में यथाविनिर्दिष्ट पदों की संख्या के, अनुसूची–दो में दर्शाये गये प्रतिशत से किसी भी समय अधिक नहीं होगी।

(3) इन नियमों के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, भर्ती की किसी विशिष्ट कालावधि के दौरान भरे जाने के लिए अपेक्षित सेवा में किसी विशिष्ट रिक्ति या रिक्तियों को, भरे जाने के प्रयोजन के लिए अपनायी जाने वाली भर्ती का तरीका या तरीके तथा ऐसे प्रत्येक तरीके द्वारा भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों की संख्या, प्रत्येक अवसर पर नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा शासन के परामर्श से अवधारित की जायेगी।

(4) उप–नियम (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी,, यदि शासन की राय में, सेवा की अत्यावश्यकताओं को देखते हुए, ऐसा करना अपेक्षित हो, तो वह सामान्य प्रशासन विभाग के अनुमोदन के पश्चात् सेवा में भर्ती के उन तरीकों को छोड़ जिनको उक्त उप–नियम में विनिर्दिष्ट किया गया है, ऐसे तरीके अपना सकेगा, जिसे इस निमित्त जारी किये गये आदेश द्वारा विहित करें।

(5) सीधी भर्ती द्वारा पदों को भरे जाने के लिए मेरिट (गुणागुण) के आधार पर चयन के लिए मापदण्ड शासन द्वारा निर्धारित किया जायेगा। तथापि नियुक्ति प्राधिकारी एक चयन समिति गठित करेगा, जो इन मापदण्डों से भिन्न अन्य युक्तिसंगत मापदण्ड शासन की सहमति से अपना सकेगा।

(6) छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्र. 21 सन् 1994) तथा सामान्य प्रशासान विभाग द्वारा समय–समय पर जारी निर्देश भी लागू होंगे ।

7. **सेवा में नियुक्ति**– इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात्, सेवा में समस्त नियुक्तियां, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा की जाएगी और ऐसी कोई भी नियुक्ति, नियम 6 में यथाविनिर्दिष्ट भर्ती के किसी एक तरीके द्वारा चयन करने के पश्चात् ही की जाएगी,, अन्यथा नहीं।

8. **सीधी भर्ती की पात्रता की शर्तें**– चयन के लिए पात्र होने हेतु अभ्यर्थी को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होगी, अर्थात्:–

(1) **आयु** – (क) विज्ञापन के प्रकाशन की तारीख की ठीक आगामी जनवरी के प्रथम दिन को अभ्यर्थी ने अनुसूची –तीन के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट आयु पूरी कर ली हो और उक्त अनुसूची के कौलम (4) में विनिर्दिष्ट आयु पूरी न की हो।

(ख) यदि अभ्यर्थी अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो का हो तो उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 5 (पांच) वर्ष तक की छूट दी जायेगी।

(ग) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिए विशेष उपबंध) नियम 1997 के नियम 7 के प्रावधानों के अनुसार, महिला अभ्यर्थियों के लिए उच्चतर आयु सीमा 10(दस) वर्ष तक शिथिलनीय होगी ।

टीप:– शासकीय सेवा में एक या एक से अधिक कारणों से छूट दिये जाने के उपरांत, उच्चतर आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(घ) उन अभ्यर्थियों के संबंध में जो छत्तीसगढ़ शासन के कर्मचारी हों अथवा, रह चुके हों, नीचे विनिर्दिष्ट की गई सीमा तथा शर्तो के अध्यधीन रहते हुए, उच्चतर आयु सीमा में छूट दी जायेगी:–

(एक) ऐसा अभ्यर्थी, जो स्थायी/स्थानापन्न/ आकस्मिकता प्राप्त शासकीय सेवक हो, 38 (अडतीस) वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए।

(दो) ऐसा अभ्यर्थी जो अस्थायी रूप से पद धारण कर रहा हों तथा किसी अन्य पद के लिए आवेदन कर रहा हो, 38 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए। यह रियायत आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारियो, कार्यभारित कर्मचारियों तथा परियोजना कार्यान्वयन समिति में कार्यरत कर्मचारियों को भी अनुज्ञेय होगी।

(तीन) ऐसा अभ्यर्थी जो छटनी किया गया शासकीय सेवक हो, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई सम्पूर्ण अस्थायी सेवा की अधिक से अधिक 7 (सात) वर्ष तक की कालावधि, भले ही वह कालावधि एक से अधिक बार की गई सेवाओं का योग हो, कम करने के लिए अनुज्ञात किया जायेगा, बशर्ते इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले, वह उच्चतर आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हों।

स्पष्टीकरण :— शब्द ''छंटनी किया गया शासकीय सेवक'' से द्योतक हैं, ऐसा व्यक्ति जो इस राज्य की या किन्ही भी संघटन इकाईयों की अस्थाई शासकीय सेवा में कम से कम छः मास की कालावधि तक निरंतर रहा हो और जिसे रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने अथवा शासकीय सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व स्थापना में कमी किये जाने के कारण सेवान्मुक्त किया गया हो।

(ड़) ऐसा अभ्यर्थी जो भूतपूर्व सैनिक हो, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई समस्त प्रतिरक्षा सेवा की कालावधि कम करने के लिए अनुज्ञात किया जायेगा, बशर्ते इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले, वह उच्चतर आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो।

स्पष्टीकरण :— शब्द ''भूतपूर्व सैनिक'' से द्योतक हैं, ऐसा व्यक्ति जो निम्नलिखित प्रवर्गों में से किसी एक प्रवर्ग का हो और जो भारत सरकार के अधीन कम से कम 6 माह की कालावधि तक निरंतर नियोजित रहा हो तथा जिसे किसी रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने अथवा शासकीय सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व मितव्ययिता इकाई की सिफारिशों के फलस्वरूप अथवा स्थापना में सामान्य रूप से कमी किए जाने के कारण छटनी किया गया हो अथवा जिसे अतिशेष (सरप्लस) घोषित किया गया हो :—

(1) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें समय पूर्व सेवा निवृत्त रियायतों (मस्टरिंग आऊट कन्सेशन) के अधीन मुक्त कर दिया गया हो ;

(2) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें दुबारा नामांकित किया गया हो, और जिन्हें ;

(क) अल्पकालिन वचनबंध अवधि पूर्ण हो जाने पर,

(ख) नामांकन संबंधी शर्ते पूर्ण हो जाने पर, सेवोन्मुक्त कर दिया गया हो;

(3) मद्रास सिविल इकाई के भूतपूर्व कार्मिक ;

(4) उनकी संविदा पूरी होने पर सेवोन्मुक्त किये गये अधिकारी (सैनिक तथा असैनिक) जिसमें अल्पावधि सेवा में नियमित कमीशन प्राप्त अधिकारी भी शामिल हैं ;

(5) अवकाश रिक्तियों पर छः माह से अधिक समय तक निरन्तर कार्य करने के पश्चात् सेवोन्मुक्त किये गये अधिकारी ;

(6) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें अशक्त होने के कारण सेवा से अलग कर दिया गया हो ;

(7) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें इस आधार पर सेवोन्मुक्त किया गया है कि अब वे दक्ष सैनिक बनने योग्य नहीं है;

(8) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें गोली लग जाने, घाव हो जाने के कारण चिकित्सीय आधार पर सेवा से अलग कर दिया गया हो।

(च) परिवार कल्याण कार्यक्रम के अधीन ग्रीनकार्ड धारक अभ्यर्थियों के संबंध में उच्चतर आयु सीमा 2 (दो) वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(छ) अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति विकास विभाग के अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अधीन पुरस्कृत दम्पत्तियों के सवर्ण पति/पत्नि के संबंध में उच्चतर आयु सीमा 5(पांच) वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(ज) शहीद राजीव पाण्डे पुरस्कार, गुण्डाधूर सम्मान, महाराजा प्रवीरचंद्र भंजदेव सम्मान तथा राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्राप्त अभ्यर्थियों के संबंध में सामान्य उच्चतर आयु सीमा 5 (पांच) वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(झ) ऐसे अभ्यर्थी, जो छत्तीसगढ़ राज्य निगम/मंडल के कर्मचारी हैं ,के संबंध में उच्चतर आयु सीमा, 38 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(ञ) स्वयं सेवी नगर सैनिकों एवं नगर सेना के नान कमीशंड अधिकारियों के संबंध में उनके द्वारा इस प्रकार की गई सेवा की कालावधि के लिए उच्चतर आयु सीमा आठ वर्ष की सीमा के अध्यधीन रहते हुए छूट दी जायेगी,, किन्तु किसी भी दशा में उनकी आयु 38 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए।

(ट) आयु सीमा के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी निर्देश भी लागू होंगे।

टीप – ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें उपरोक्त खण्ड (घ) के उप–खण्ड (एक) तथा (दो) में उल्लिखित आयु संबंधी रियायतों के अधीन चयन के लिए पात्र पाया गया हो, वे यदि आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् या तो चयन के पूर्व या उसके पश्चात् सेवा से त्याग पत्र दे देते है, तो नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे, तथापि यदि आवेदन पत्र भेजने के पश्चात् सेवा या पद से छटनी कर दी जाती है, तो वे पात्र बने रहेगें।

(2) किसी भी अन्य मामले में आयु सीमायें शिथिल नहीं की जायेगीं. विभागीय अभ्यर्थियों को चयन के लिए उपस्थित होने के लिए उनके नियुक्ति प्राधिकारी की पूर्व अनुमति अभिप्राप्त करनी होगी।

(2) शैक्षणिक अर्हता – अभ्यर्थी के पास सेवा के लिए विहित ऐसी शैक्षणिक अर्हताये होनी चाहिए जैसा कि अनुसूची– तीन में विनिर्दिष्ट है।

(3) **फीस**– अभ्यर्थी को नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा विहित फीस का भुगतान करना होगा।

9. **निरर्हता.**– अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिए किन्हीं भी साधनों से समर्थन अभिप्राप्त करने के किसी भी प्रयास को, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा परीक्षा/चयन के लिए निरर्हित माना जा सकेगा।

10. **अभ्यर्थी की पात्रता के संबंध में नियुक्ति प्रधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगा** – चयन के लिये अभ्यर्थी की पात्रता अथवा अन्यथा के संबंध में नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगा तथा ऐसे किसी भी अभ्यर्थी को जिसे नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा प्रवेश प्रमाण पत्र जारी नही किया गया हैं, परीक्षा/साक्षात्कार में उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

11. **(अ) चयन/प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा सीधी भर्ती :–(1)प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा सीधी भर्ती :–**

(एक) नियुक्ति प्राधिकारी एक चयन समिति गठित करेगा जिसमें तीन सदस्य समाविष्ट होंगे ।

(दो) सेवा में भर्ती के लिए प्रतियोगिता परीक्षा, ऐसे अंतरालों से ली जायेगी जैसा कि नियुक्ति प्राधिकारी समय–समय पर शासन के परामर्श से अवधारित करें ।

(तीन) परीक्षा, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों के अनुसार चयन समिति द्वारा ली जायेगी ।

(2) चयन द्वारा सीधी भर्ती :–(एक) सेवा में भर्ती के लिये अभ्यर्थियों का चयन, ऐसे अंतरालो से की जायेगी जैसा कि नियुक्ति प्राधिकारी समय–समय पर अवधारित करें ।

(दो) सेवा के लिए अभ्यर्थियों का चयन, चयन समिति द्वारा उनके साक्षात्कार के द्वारा किया जायेगा।

(तीन) चयन समिति, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा समय–समय पर, गठित की जायेगी ।

(3) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गो से संबंधित व्यक्तियों के लिये सीधी भर्ती के प्रक्रम पर पदों को, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियो, अनुसूचित

जनजातियो और अन्य पिछड़ा वर्गो के लिये आरक्षण) अधिनियम 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार आरक्षित रखे जायेंगे ।

(4) इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों को भरते समय, उन अभ्यर्थियों की जो अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गो के सदस्य है, नियुक्ति के लिए उसी क्रम में विचार किया जायेगा, जिस क्रम में उनके नाम नियम 11 में निर्दिष्ट सूची में आये हों, चाहे अन्य अभ्यर्थियों की तुलना में उनका सापेक्षित रैंक कुछ भी क्यों न हो ।

(5) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गो से संबंधित उन अभ्यर्थियों को जिन्हें प्रशासन में दक्षता बनाये रखने का सम्यक ध्यान रखते हुए, सेवा में नियुक्ति के लिये, उपयुक्त घोषित किया गया हो, यथास्थिति, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गो के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित रिक्तियों पर नियुक्त किया जा सकेगा ।

(6) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (महिलाओ की नियुक्ति के लिये विशेष उपबंध) नियम 1997 के उपबंधो के अनुसार, 30% पद महिला अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित रखे जायेंगे ।

(7) जहॉ सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पदों के लिए कुछ कालावधि का अनुभव आवश्यक शर्त के रूप में विहित किया गया है और नियुक्ति प्राधिकारी की राय में यह पाया जाए कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गो के अभ्यर्थी अपेक्षित अनुभव के साथ आरक्षित पदों पर भर्ती के लिए पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है, वहां नियुक्ति प्राधिकारी अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गो के अभ्यर्थियों के संबंध में अनुभव की शर्त को शिथिल कर सकेगा ।

(8) शारिरीक रूप से विकलांग अभ्यर्थियों के लिए, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय जारी निर्देशों के अनुसार पदों को आरक्षित किया जायेगा।

(ब) चयन समिति द्वारा सिफारिश किये गये अभ्यर्थियों की सूची :–(1) चयन समिति, उन अभ्यर्थियों की योग्यता के क्रम से व्यवस्थित एक सूची जो ऐसे स्तर से अर्हित हो जैसा कि चयन समिति अवधारित करें तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गो से संबंधित उन अभ्यर्थियों की सूची, जो यद्यपि उस स्तर से अर्हित नहीं है, किन्तु प्रशासन में दक्षता बनाये रखने का सम्यक् ध्यान रखते हुए, सेवा में नियुक्ति के लिए चयन समिति द्वारा उपयुक्त घोषित किया गया है, तैयार करेगा। यह सूची सर्वसाधारण की जानकारी के लिये भी प्रकाशित की जायेगी ।

(2) इन नियमों तथा छत्तीसगढ़, सिविल सेवा (सेवा की समान्य शर्ते) नियम 1961 के उपबंधों के अध्ययीन रहते हुए उपलब्ध रिक्तियों पर अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिये उसी क्रम में विचार किया जायेगा जिस क्रम में उनके नाम सूची में आये हो ।

(3) सूची में किसी अभ्यर्थी का नाम सम्मिलित किये जाने से ही उसें नियुक्ति के लिए कोई अधिकार तब तक प्राप्त नहीं होता, जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी का ऐसी जॉच करने के पश्चात् जैसा कि वह आवश्यक समझे, यह समाधान न हो जाये कि अभ्यर्थी सेवा में नियुक्ति के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त है ।

(4) यह सूची,, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा जारी किये जाने की तारीख से एक वर्ष की कालावधि के लिए विधिमान्य रहेगी।

12. <u>पदोन्नति द्वारा नियुक्ति</u> :–(1) उल्लेखित पात्र अभ्यर्थियों की पदोन्नति हेतु प्रारंभिक चयन करने के लिये एक समिति गठन की जायेगी जिसमे अनुसूची में विनिर्दिष्ट सदस्य होंगे। परंतु इस उप–नियम के अधीन, समिति के गठन के प्रयोजन के लिये, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गो के लिये आरक्षण) अधिनियम 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) की धारा 8 के उपबंधों का भी अनुसरण किया जायेगा ।

(2) समिति की बैठक ऐसे अन्तरालों में होगी जो साधारणतया एक वर्ष से अधिक की न हो ।

(3) छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 के उपबंधों के अनुसार पदोन्नति दी जायेगी ।

(4) आरक्षित रिक्तियों में पदोन्नति करने हेतु प्रक्रिया, छत्तीसगढ़ शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी किये गये निर्देशों के अनुसार होगी ।

13. पदोन्नति/स्थानांतरण के लिये पात्रता की शर्तें :–

(1) समिति, उन समस्त व्यक्तियों के मामलों पर विचार करेगी जिन्होने उस वर्ष की जनवरी के प्रथम दिन को, अनुसूची–चार के कॉलम (4) में उल्लेखित पद/सेवा में या शासन द्वारा उसके समतुल्य घोषित किसी अन्य पद या पदों पर (चाहे मूल रूप से या स्थानापन्न रूप से) सेवा की कालावधि जो कि अनुसूची–चार के कॉलम (3) में दर्शायी गयी है, पूर्ण कर ली हो।

स्पष्टीकरण–(1) पदोन्नति के लिए पात्रता हेतु संगणना की रीति :– संबंधित वर्ष जिसमें विभागीय पदोन्नति समिति/छानबीन समिति आहूत की जाती है, की प्रथम जनवरी को अर्हकारी सेवा की अवधि की गणना, उस कलेण्डर वर्ष से की जायेगी, जिसमें लोक सेवक फीडर संवर्ग/सेवा के भाग/पद के वेतनमान में आया हो और फीडर संवर्ग/सेवा के भाग/पद के वेतनमान में आने की तारीख से नहीं ।

(2) पदोन्नति के संबंध में, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 के प्रावधान अनुसार लागू होंगे।

(3) शासन द्वारा विहित आरक्षण रोस्टर के अनुसार पदोन्नति दी जायेगी ।

14. उपयुक्त अभ्यर्थियों की सूची तैयार करना :–(1) विभागीय पदोन्नति समिति, ऐसे व्यक्तियों की एक सूची तैयार करेगी, जो उपर्युक्त नियम 13 में विहित शर्तो को पूरी करते हों तथा जिन्हे समिति द्वारा सेवा में पदोन्नति के लिए उपयुक्त समझा गया हो। यह सूची,, चयन सूची तैयार किये जाने की तारीख से एक वर्ष के दौरान सेवानिवृत्ति तथा पदोन्नति के कारण होने वाली प्रत्याशित रिक्तियों को भरने के लिये पर्याप्त होगी ।

(2) उपयुक्त अधिकारियों/कर्मचारियों की सूची, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 के प्रावधानों के अनुसार तैयार की जायेगी।

(3) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 के उपबंधों के अनुसार, प्रत्येक चयन सूची की तैयारी के समय, सूची में सम्मिलित व्यक्तियों के नाम अनुसूची–चार के कॉलम (2) में यथाविर्निदिष्ट सेवा या पदों में वरिष्ठता के क्रम में रखे जायेंगे ।

स्पष्टीकरण :– ऐसा व्यक्ति जिसका नाम चयन सूची में शामिल किया गया हो, किन्तु जिसे सूची की विधिमान्यता के दौरान पदोन्नत नहीं किया गया हो, केवल उसके पूर्वोत्तर चयन के तथ्य से ही उन व्यक्तियों के ऊपर जिन पर पश्चात्वर्ती चयन में विचार किया गया है, ज्येष्ठता का कोई दावा नहीं होगा।

15. चयन सूची :–(1) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अंतिम रूप से अनुमोदित सूची, अनुसूची– चार के कालम(3) में उल्लेखित पद से, उक्त अनुसूची के कॉलम (4) में उल्लेखित पदों पर, सेवा के सदस्यों की पदोन्नति के लिए चयन सूची होगी।

(2) चयन सूची,, इसके तैयार किये जाने की तारिख से कलेण्डर वर्ष के 31 दिसम्बर तक विधिमान्य रहेगी ।

परन्तु चयन सूची में सम्मिलित किसी व्यक्ति की ओर से कर्तव्य के निर्वहन अथवा पालन में गंभीर चूक होने की स्थिति में, शासन के कहने पर, चयन सूची का विशेष रूप से पुर्नविलोकन किया जा सकेगा और यदि वह उचित समझे तो चयन सूची से ऐसे व्यक्ति का नाम हटा सकेगा ।

16. चयन सूची से सेवा में नियुक्ति :–(1) चयन सूची में सम्मिलित कर्मचारियों की सेवा के संवर्ग के पदों पर नियुक्तियॉ छ.ग लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 के प्रावधानों के अनुसार की जाएगी ।

(2) साधारणतः उस व्यक्ति की जिसका नाम चयन सूची में सम्मिलित हो, सेवा में नियुक्ति के पूर्व समिति से परामर्श करना तब तक आवश्यक नहीं होगा जब तक कि चयन सूची में उसका नाम शामिल किये जाने तथा प्रस्तावित नियुक्ति की तारीख की बीच की कालावधि के दौरान उसके कार्य में ऐसी कोई गिरावट न आ जाये, जो नियुक्ति प्राधिकारी की राय में, सेवा में नियुक्ति के लिए उसे अनुपयुक्त सिद्ध करता हो।

17. **परिवीक्षा**– सेवा में सीधी भर्ती या पदोन्नत किया गया प्रत्येक व्यक्ति, दो वर्ष की कालावधि के लिये परिवीक्षा पर नियुक्त किया जायेगा।

18. **निर्वचन**– यदि इन नियमों के निर्वचन के संबंध में कोई प्रश्न उद्भूत हो तो उसे शासन को निर्दिष्ट किया जायेगा, जिस पर उसका निर्णय अन्तिम होगा।

19. **शिथिलीकरण**– इन नियमों में दी गई किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायेगा कि वह ऐसे व्यक्ति के मामले में, जिस पर ये नियम लागू होते हैं, ऐसी रीति से कार्यवाही करने की राज्यपाल की शक्ति को जो उसे उचित एवं साम्यपूर्ण प्रतीत हो, सीमित या कम करती है।

परन्तु कोई मामला ऐसी रीति में नहीं निपटाया जायेगा जो इन नियमों में उपबंधित रीति की अपेक्षा उसके लिए कम अनुकूल हो।

20. **व्यावृत्ति**–इन नियमों में की गई कोई भी बात अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गो के लिए, राज्य शासन द्वारा समय–समय पर इस संबंध में बनाये गये नियमों या जारी किये गये आदेशों के अनुसार दिये जाने वाले अपेक्षित आरक्षण तथा अन्य शर्तों को प्रभावित नहीं करेगी।

21. **निरसन तथा व्यावृत्ति**–इन नियमों के तत्स्थानी और इन नियमों के प्रारंभ होने के ठीक पूर्व प्रवृत्त समस्त नियम, इन नियमों के अंतर्गत आने वाले विषयों के संबंध में एतद्द्वारा निरसित किये जाते हैं ;

परन्तु इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन किया गया कोई भी आदेश या की गई कोई कार्रवाई, इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन दिया गया आदेश या की गई कार्रवाई समझी जायेगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अनिल चौधरी, उप–सचिव

अनुसूची–एक

(नियम 4 और 5 देखिए)

स.क.	सेवा में सम्मिलित पदों का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
एक	**शिक्षा / प्रशिक्षण**				
1.	सहायक ग्रंथपाल(असिसेंट लाइब्रेरियन) (कार्यालय संचा. ए आई पी ई टी सी,, रायपुर–01, कार्यालय अपर संचालक, पी ई टी सी बिलासपुर–01 एवं जगदलपुर–01 और गुरूकुल–01)	04	तृतीय वर्ग अलिपिक वर्गीय	5200–20200+ ग्रेड वेतन 2200	
2.	ग्रंथपाल (लाइब्रेरियन) (कार्यालय संचा.,टी.आर.आई.–01 / कार्यालय संचालक ए आई पी ई टी सी,, रायपुर–01,कार्यालय अपर संचा. पी. ई टी सी बिलासपुर–01 एवं जगदलपुर–01)	04	–'–	5200–20200+ ग्रेड वेतन 2800	
दो–कार्यपालक :–					
1.	सहायक सांख्यिकीय अधिकारी (कार्यालय सी टी डी.– 07 – डाईंग कैडर, कार्या0 संचा,टी आर आई – 03, कार्यालय पी ए– 19 , कार्यालय ए सी– 06 पद)	35	–'–	9300–34800+ ग्रेड वेतन 4300	
2.	योजना अनुसंधान सहायक (कार्यालय सी टी डी –02, कार्यालय संचा.,टी आर आई– 14)	16	–'–	9300–34800+ ग्रेड वेतन 4200	
3.	सहायक जनसम्पर्क अधिकारी (कार्यालय सी टी डी –01)	01	–'–	9300–34800+ ग्रेड वेतन 4300	
4.	पुलिस इन्सपेक्टर (कार्यालय संचालक, टी आर आई– 08)	08	–'–	9300–34800+ ग्रेड वेतन 4300	पुलिस विभाग से प्रतिनियुक्ति पर
5.	विधि सहायक (कार्यालय संचा., टी आर आई– 01)	01	–'–	9300–34800+ ग्रेड वेतन 4200	
6.	उप यंत्री (कार्यालय एं सी–18)	18	–'–	9300–34800+ ग्रेड वेतन 4200	
7.	सर्वेयर (कार्यालय आयुक्त वक्फ बोर्ड)	01	–'–	5200–20200+ ग्रेड वेतन 2400	
8.	सूचना सहायक (कार्यालय राज्य वक्फ बोर्ड)	**01**	–'–	5200–20200+ ग्रेड वेतन 2400	
9.	कार्यक्रम सहाय (छत्तीसगढ़ उर्दू अकादमी)	**01**	तृतीय वर्ग अलिपिक वर्गीय	5200–20200+ ग्रेड वेतन 2400	प्रतिनियुक्ति पर
10	प्रकाशन सहायक(छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड)	**01**	–'–	5200–20200+ ग्रेड वेतन 2400	प्रतिनियुक्ति पर
11	पटवारी (कार्यालय राज्य वक्फ बोर्ड)	**01**	–'–	5200–20200+ ग्रेड वेतन 2200	प्रतिनियुक्ति पर
12	संग्रहालय सहायक (कार्यालय संचा., टी आर आई– 01)	01	–'–	9300–34800+ ग्रेड वेतन 4200	

13	सहायक मानचित्रकार (कार्यालय ए सी बिलासपुर,सरगुजा एवं बस्तर–03)	03	–'–	5200–20200+ ग्रेड वेतन 2400	
14	अनुरेखक (कार्यालय ए सी ,बस्तर एवं सरगुजा–02)	02	–'–	5200–20200+ ग्रेड वेतन 1900	
15	मण्डल संयोजक (.कार्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय –85)	85	–'–	5200–20200+ ग्रेड वेतन 2800	
16	अन्वेषक	13	–'–	5200–20200+ ग्रेड वेतन 2800	
17	संगणक लेखापाल (कार्यालय सी टी डी–01 – डाईंग कैडर, कार्यालय संचालक,टी आर आई – 01)	02	–'–	5200–20200+ ग्रेड वेतन 2400 एवं 5200–20200+ ग्रेड वेतन 2200	
18	सहायक प्रोग्रामर (कार्यालय सी.टी. डी.–02, कार्यालय संचालक,टी आर आई–.01)	03	–'–	9300–34800+ ग्रेड वेतन 4200	
19	डाटा एन्ट्री ऑपरेटर (कार्यालय सी टी डी –03,कार्यालय संचालक,टी आर आई–01,कार्यालय पी ए –19,कार्यालय ए सी– 18,कार्यालय बी ई ओ –85 ,हज कमेटी–01, एस टी आयोग–01, टी ए डी पी– 01)	129	–'–	5200–20200+ ग्रेड वेतन 2200	
20	वाहन चालक (कार्यालय सी टी डी –10, कार्यालय संचालक,टी आर आई –01, कार्यालय पी ए –19, कार्यालय ए सी –18, कार्यालय संचालक,ए आई पी ई टी सी –02/अपर संचालक,पी ई टी सी बिलासपुर एवं जगदलपुर–01–01, विधि प्रकोष्ठ–01	53	–'–	5200–20200+ ग्रेड वेतन 1900	

अनुसूची–दो
(नियम 6 देखिए)
छत्तीसगढ़ अधीनस्थ तृतीय श्रेणी अलिपिक वर्गीय सेवा
अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति विकास विभाग

स.क	सेवा में सम्मिलित पद का नाम	कर्तव्य पदों की कुल संख्या	भरे जाने वाले कर्तव्य पदों की संख्या का प्रतिशत		अन्य सेवा के व्यक्तियों के स्थानान्तरण द्वारा 6(1) (ग)
			सीधी भर्ती द्वारा नियम 6(1) (क)	सेवा के सदस्यों की पदोन्नति द्वारा नियम 6(1) (ख)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
एक	**शिक्षा / प्रशिक्षण :–**				
1.	सहायक ग्रंथपाल	04	100 %	–	–
2.	ग्रंथपाल	04	–	100 %	–
दो	**कार्यपालिक :–**			–	–
1.	सहायक सांख्यिकीय अधिकारी	35	50 %	50 %	पदोन्नति कोटे से भरे जायेंगे. 1.संगणको (लेखापाल) / अन्वेषकों से 25% पदोन्नति व्दारा। 2.स्नातक सहायकों में से चयन द्वारा 10% 3.परिशिष्ट –क के अनुसार सहायक ग्रेड–1 स्नातक से भिन्न लिपिक संवर्गो से विभागीय परीक्षा व्दारा 15% चयन व्दारा।
2.	योजना अनुसंधान सहायक	16	90%	10%	पदोन्नति कोटा से : लिपिक संवर्ग से चयन व्दारा भरा जाएगा.
3.	सहायक जन सम्पर्क अधिकारी	01	100 %	–	–
4.	उप अभियंता	18	100 %	–	–
5.	सर्वेयर वक्फ बोर्ड	01	100 %	–	–
6.	संग्रहालय सहायक	01	100 %	–	–
7.	सहायक मानचित्रकार	03	50 %	50 %	–
8.	अनुरेखक	02	100 %	–	–
9.	डाटा एन्ट्री ऑपरेटर	129	100 %	–	–
10.	सहायक प्रोग्रामर	03	100%	–	केवल मुख्यालय
11.	मंडल संयोजक	85	60 %	40 %	पदोन्नति कोटा : लिपिक वर्गीय संवर्ग (सहायक ग्रेड–02 एवं 03) से विभागीय परीक्षा के माध्यम से 15% चयन द्वारा, विभागीय परीक्षा द्वारा सहायक शिक्षक से विभागीय परीक्षा के माध्यम से 25% चयन द्वारा
12.	पुलिस इंस्पेक्टर	08	–	–	100% (पुलिस विभाग से प्रतिनियुक्ति पर)
13.	विधि सहायक	01	100 %	–	–

14.	सूचना सहायक	01	100 %	—	—
15.	कार्यक्रम सहायक	01	—	100 %(सूचना प्रसारण विभाग से प्रतिनियुक्ति पर)	
16.	प्रकाशन सहायक	01	—	100 % (सूचना प्रकाशन विभाग से प्रतिनियुक्ति पर)	
17.	पटवारी	01	—	100 % (राजस्व विभाग से प्रतिनियुक्ति पर)	
18.	संगणक(लेखापाल)	02	100 %	—	—
19.	वाहन चालक	53	100 %	—	—

परिशिष्ट– क

(अ) एक सीमित प्रतियोगी परीक्षा द्वारा लिपिक वर्गीय सेवा तथा शैक्षणिक सेवा के कर्मचारियों के बीच से सहायक साख्यिकी अधिकारी,, योजना अनुसंधान सहायक तथा मण्डल संयोजक के पदों पर नियुक्ति करने के लिए योजना।

1. **शीर्षक.**– यह योजना अनुसूचित जनजाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग के लिपिक वर्गीय सेवा और शैक्षणिक सेवा के कर्मचारियों के बीच से चयन द्वारा सहायक सांख्यिकी अधिकारी,, योजना, अनुसंधान सहायक और मण्डल संयोजक के पदों पर नियुक्ति के लिए परिकल्पित है।

2. **पात्रता–(1)** सहायक सांख्यिकी अधिकारी तथा योजना अनुसंधान सहायक के पद के लिए लिपिक वर्गीय सेवा में केवल ऐसे सदस्य इस योजना में भाग ले सकते हैं, जो निम्नलिखित अर्हता रखते हों, अर्थात्–

(एक) ऐसा कोई व्यक्ति, जो अनुसूचित जनजाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग की लिपिक वर्गीय सेवा में कम से कम पिछले पांच वर्ष से लगातार कार्य कर रहा हो।

(दो) ऐसा कर्मचारी,, जो अनुसूची– तीन में यथा उल्लेखित सहायक ग्रेड–1 के पद के लिए सीधी भर्ती हेतु विहित शैक्षणिक अर्हता पूरी करता हो, अर्थात् उसे किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र/वाणिज्य/गणित/सांख्यिकी/सामाजिक या सांस्कृतिक मानव विज्ञान/समाज शास्त्र/व्यवहारिक मनोविज्ञान में स्नातकोत्तर या समकक्ष अर्हता होनी चाहिए।

(तीन) उसकी आयु उस वर्ष की पहली जनवरी को जिसमें चयन किया जाना है 50 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से संबंधित व्यक्तियों के लिए उच्चतर आयु सीमा 55 वर्ष होगी ।

(चार) अभ्यर्थी के विरूद्ध कोई विभागीय जांच लंबित नहीं होनी चाहिए या उसे परीक्षा के वर्ष की कालावधि के दौरान दंडित नही किया जाना चाहिये।

(पॉच) किसी भी लिपिक वर्गीय को इस योजना के अधीन ली गई परीक्षा में तीन बार से अधिक सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(2) लिपिक वर्गीय सेवा और शैक्षणिक सेवा के केवल ऐसे सदस्य, मण्डल संयोजक के पद के लिए परीक्षा में भाग ले सकेंगे जो निम्नलिखित अर्हताएं रखते हों:–

(1) जो अनुसूचित जनजाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग में लिपिक वर्गीय सेवा या शैक्षणिक सेवा में कम से कम गत विगत पांच वर्ष से सेवारत हों।

(2) जो अनुसूची– तीन में यथा उल्लिखित मण्डल संयोजक के पद हेतु भर्ती के लिए विहित शैक्षणिक अर्हताएं रखते हों।

(3) उसकी आयु उस वर्ष की पहली जनवरी को जिसमें चयन किया जाना है 50 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों के लिए उच्चतर आयु सीमा 55 वर्ष होगी ।

(4) उस अभ्यर्थी के विरूद्ध कोई विभागीय जांच नहीं होना चाहिए।

(5) किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा में तीन बार से अधिक सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

3. **चयन–नियुक्ति के लिए चयन** –(एक) इस योजना के अधीन होने वाली परीक्षा में सफल अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंकों, और

(दो) संबंधित अभ्यर्थी का पिछले पांच वर्षों की चरित्रावली के मूल्यांकन के आधार पर किया जायेगा।

4. **परीक्षा**– (1) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा प्रत्येक वर्ष ऐसें अन्तरालों ऐसी तारीखों तथा स्थानों पर लिखित परीक्षा ली जाएगी जैसा कि उसके द्वारा अवधारित किया जाये।

(2) लिखित परीक्षा में दो प्रश्न पत्र होंगे जिससे से प्रत्येक 100 अंक का होगा तथा 3 घंटे की अवधि का होगा। परीक्षा में सफल होने के लिए प्रत्येक प्रश्न पत्र में पृथक से कम से कम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा।

(3) प्रश्न पत्र नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा तैयार किए जायेंगे और उसमें निम्नलिखित विषय समाविष्ट होंगे–

प्रश्न पत्र – (1)सामान्य ज्ञान, सामान्य हिन्दी,, सामान्य अंग्रेजी और अंक गणित।

द्वितीय पत्र– **(एक)** शासकीय सेवा के सामान्य नियम।

(दो) विभाग में प्रचलित शब्दावलियों का ज्ञान।

विभागीय स्कीमों के संबंध में निबंध लेखन। विभागीय योजनाओं के कार्यान्वयन के संबंध में अधिनियमों, नियमों, उप नियमों, मैन्यूअल आदि पर टिप्पणी।

(4) प्रश्न पत्र के लिए पाठ्यक्रम समय–समय पर अवधारित किया जायेगा।

(5) परीक्षा में प्रवेश के लिए केवल वहीं कर्मचारी पात्र होगें, जो उपरोक्त पैरा में वर्णित अर्हताएं पूरी करते हो। परीक्षा में उपस्थित होने के इच्छुक अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र, परीक्षा के लिए विहित तारीख से कम से कम एक माह पूर्व नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा आमंत्रित किए जाएंगे। परीक्षा में प्रवेश के लिए पात्र पाए गए आवेदकों को परीक्षा की तारीख, स्थान आदि के बारे में सूचित किया जाएगा।

(6) उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नामनिर्देशित विभाग के अधिकारियों द्वारा किया जाएगा।

(7) ऐसे अभ्यर्थियों, जिन्होंने प्रत्येक पत्र में पृथक–पृथक 50 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं, की सूची तैयार की जायेगी।

(5) चरित्रावलियों का मूल्यांकन और चयन की अंतिम सूची– (एक) ऐसे अभ्यर्थियों, जिनके नाम पैरा 4 (सात) के अधीन तैयार की गई चयन सूची में सम्मिलित हैं, पिछले पांच वर्षों की चरित्रावलियों का मूल्यांकन विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा किया जाएगा।

(दो) अंतिम चयन सूची,, परीक्षा में प्राप्त कुल अंकों तथा चरित्रावलियों के मूल्यांकन के आधार पर तैयार की जायेगी। नियुक्तियां इस प्रयोजन के लिए आरक्षित पदों के कोटे के विरूद्ध सूची में आए, नाम के क्रम में की जाएगी।

(6) परिवीक्षा– इस योजना के अधीन नियुक्त प्रत्येक कर्मचारी को दो वर्ष कालावधि के लिए परिवीक्षा पर रखा जाएगा। यदि कोई कर्मचारी परिवीक्षा की कालावधि के दौरान पद के लिए अनुपयुक्त पाया जाता है तो उसे अपने पूर्व पद पर प्रत्यावर्तित कर दिया जाएगा।

अनुसूची – तीन
(नियम 8 देखिए)

विभाग का नाम	पद का नाम	न्यूनतम आयु सीमा	उच्चतर आयु सीमा	विहित शैक्षणिक अर्हता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग				
एक. शिक्षा / प्रशिक्षण				
1.	सहायक ग्रंथपाल	20	30 (स्थानीय निवासियों के लिए 35)	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री और पुस्तकालय विज्ञान में डिप्लोमा / डिग्री
दो. कार्यपालिक				
1.	सहायक सांख्यिकी अधिकारी	21	–"–	अर्थशास्त्र / वाणिज्य / सांख्यिकी / गणित में कम से कम द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर डिग्री या उसके समकक्ष
2.	योजना अनुसंधान सहायक	21.	–"–	अर्थशास्त्र / वाणिज्य / गणित / सांख्यिकी / सामाजिक या सांस्कृतिक मानव विज्ञान / समाज शास्त्र / अप्लाइड फिजियोलॉजी में कम से कम द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर डिग्री या सामाजिक कार्य में स्नातकोत्तर डिग्री ।
3.	सहायक जनसम्पर्क अधिकारी	21	–"–	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या उसके समकक्ष अर्हता और पत्रकारिता में डिप्लोमा / डिग्री।
4.	उपयंत्री	20	–"–	सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा
5.	सर्वेयर	20	–"–	आई टी आई प्रशिक्षण साथ ही छः माह का संयंत्र प्रशिक्षण।
6.	संग्रहालय सहायक	21	–"–	स्नातक या उसके समकक्ष साथ ही मान्यता प्राप्त संस्था से संग्रहालय विज्ञान में डिग्री या डिप्लोमा।
7.	सहायक मानचित्रकार	20	–"–	सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा प्रमाण पत्र या हायर सेकेण्ड्री उत्तीर्ण और मानत्रिकार) पाठ्यक्रम में प्रमाण पत्र।
8.	अनुरेखक	20	–"–	सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा प्रमाण पत्र या हायर सेकेण्ड्री उत्तीर्ण और मानत्रिकार पाठ्यक्रम में प्रमाण पत्र।
9.	मण्डल संयोजक	21	30 (स्थानीय निवासियों के लिए 35)	स्नातक या उनके समकक्ष के उन अभ्यर्थियों को अधिमान दिया जाएगा जिनके पास मानव विज्ञान / समाजशास्त्र / मनोविज्ञान / समाजिक कार्य में स्नातकोत्तर डिग्री / शिक्षा में स्नातक डिग्री हो। अधिमान से अभिप्रेत है यदि लिखित परीक्षा / साक्षात्कार में समान अंक प्राप्त होते है तो जिन अभ्यर्थियों के पास मानव विज्ञान / समाजशास्त्र / मनोविज्ञान / समाजिक कार्य में स्नातकोत्तर / शिक्षा में स्नातक डिग्री हो उन्हें नियुक्ति में प्राथमिकता दी जायेगी । उपरोक्त अर्हता के साथ समान अंकों के मामेले में, जिन अभ्यर्थियों की जन्मतिथि पहले होगी उन्हें प्राथमिकता दी जायेगी ।

10	सूचना सहायक	20	—"—	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री और पत्रकारिता में दो वर्ष का अनुभव।
11.	विधि सहायक	21	—"—	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एलएलबी डिग्री एवं न्यायालय में व्यवसाय का 3 वर्ष का अनुभव
12	डाटा एण्ट्री ऑपरेटर	18	—"—	(1) किसी मान्यता प्राप्त मण्डल/विश्वविद्यालय से 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण या कक्षा दसवीं बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण एवं किसी विषय में तीन वर्षीय डिप्लोमा उत्तीर्ण। (2)किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एण्ट्री ऑपरेटर/प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा. (3) कम्प्यूटर में हिन्दी एवं अंग्रेजी में 8000 की डिप्रेसन प्रति घण्टा होना अनिवार्य है.
13.	संगणक (लेखापाल)	20	—"—	अर्थशास्त्र/वाणिज्य/सांख्यिकी/गणित किसी एक विषय के साथ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री या उसके समकक्ष अर्हता एवं मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एण्ट्री ऑपरेटर/प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा।
14.	सहायक प्रोग्रामर	20	—"—	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री तथा कम्प्यूटर एप्लीकेशन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा।
15.	वाहन चालक	18	—"—	माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण साथ ही चालक अनुज्ञप्ति होना चाहिये।

अनुसूची–चार
(नियम 10 और 12 देखिए)

विभाग का नाम	सेवा या पद का नाम जिससे पदोन्नति की जानी है	सेवा की न्यनतम कालावधि	पद का नाम जिस पर पदोन्नति की जाना है	विभागीय पदोन्नति समिति	पदोन्नति का तरीका
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग	सहायक ग्रंथपाल	5 वर्ष	ग्रंथपाल	1. अपर संचालक–**अध्यक्ष** 2. उपायुक्त, (स्थापना–02/03)–**सदस्य** 3. उपायुक्त (शिक्षास्थापना)–**सदस्य** 4. संयुक्त संचालक, जनजाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान–**सदस्य**	योग्यता सह वरिष्ठता
1.	संगणक (लेखापाल) /अन्वेषक जो अर्थशास्त्र /सांख्यिकी गणित/वाणिज्य डिग्री रखता हो	5 वर्ष	सहायक सांख्यिकी अधिकारी (25 % पद)	1. अपर संचालक–**अध्यक्ष** 2. उपायुक्त, (स्थापना–02/03) **सदस्य** 3. उपायुक्त (शिक्षा थापना)–**सदस्य** 4. संयुक्त संचालक,जनजाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान–**सदस्य**	
2.	सहायक ग्रेड–1 जो अर्थशास्त्र/ सांख्यिकी, गणित/ वाणिज्य, डिग्री रखता हो	5 वर्ष	सहायक सांख्यिकी अधिकारी (10 % पद चयन द्वारा)	1. अपर संचालक–**अध्यक्ष** 2. उपायुक्त, (स्थापना–02/03) **सदस्य** 3. उपायुक्त (शिक्षास्थापना)–**सदस्य** 4. संयुक्त संचालक,जनजाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान–**सदस्य**	
3.	लिपिक जो अर्थशास्त्र/ सांख्यिकी/ गणित/ वाणिज्य, विषय के साथ डिग्री रखता हो	5 वर्ष	सहायक सांख्यिकी अधिकारी (15 % चयन द्वारा)	1. अपर संचालक–**अध्यक्ष** 2. उपायुक्त, (स्थापना–02/03)–**सदस्य** 3. उपायुक्त (शिक्षास्थापना)–**सदस्य** 4. संयुक्त संचालक,जनजाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान–**सदस्य**	
4.	लिपिक जो अनुसूची तीन में अनुसंधान सहायक के लिए विहित अर्हता रखता हो.	5 वर्ष	अनुसंधान सहायक (10% पद चयन द्वारा)	1. अपर संचालक–**अध्यक्ष** 2. उपायुक्त, (स्थापना–02/03) **सदस्य** 3. उपायुक्त (शिक्षास्थापना)–सदस्य 4. संयुक्त संचालक,जनजाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान–सदस्य	
5.	अनुरेखक	5 वर्ष	सहायक मानचित्रकार (पदोन्नति द्वारा)	1. अपर संचालक–अध्यक्ष 2. उपायुक्त, (स्थापना–02/03) सदस्य 3. उपायुक्त (शिक्षास्थापना)–**सदस्य** 4. संयुक्त संचालक,जनजाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान–**सदस्य**	

6.	सहा0ग्रेड–3 / सहा0ग्रेड– 2 जो अनुसूची– तीन में मण्डल संयोजक के लिए विहित अर्हता रखते हो।	5 वर्ष	मण्डल संयोजक (15 % पद चयन द्वारा)	1. अपर संचालक–**अध्यक्ष** 2. उपायुक्त, (स्थापना–02 / 03) **सदस्य** 3. उपायुक्त (शिक्षा स्थापना)–**सदस्य** 4. संयुक्त संचालक,जनजाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान–**सदस्य**	
7.	सहायक शिक्षक जो अनुसूची– तीन में मण्डल संयोजक के लिए विहित अर्हता रखते हो	5 वर्ष	मण्डल संयोजक (25% पद चयन द्वारा)	1. अपर संचालक–**अध्यक्ष** 2. उपायुक्त, (स्थापना–02 / 03) **सदस्य** 3. उपायुक्त (शिक्षा स्थापना)–**सदस्य** 4. संयुक्त संचालक, जनजाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान--**सदस्य**	

रायपुर, दिनांक 4 जुलाई, 2011

क्रमांक एफ 1–29 / 2008 / 25–1.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 04 जुलाई, 2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनिल चौधरी, उप–सचिव.

Raipur, the 4th July 2011

NOTIFICATION

Service Recruitment Rules- 2011

No. F-1-29/2008/25-1. — In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby makes the following rules relating to the Chhattisgarh recruitment to the Scheduled Tribes and Scheduled Castes Development Sub-ordinate (Class-III-Non-Ministerial) Service, namely:-

RULES

1. **Short title and commencement – (1)** These rules may be called Chhattisgarh Scheduled Tribes and Scheduled Castes Development Sub-ordinate Service (Class-III-Non-Ministerial) Recruitment Rules, 2011.

   (2) It shall come into force with effect from the date of its publication in "Official Gazette".

2. **Definitions**- In these rules, unless the context otherwise requires :

   (a) "Appointing authority" in respect of the service or post means the such authority to whom powers to make appointment in the Service or Post have been assigned by the Government ;

   (b) "Board" means Chhattisgarh State Vyavsayik Pariksha Mandal or Departmental Committee constituted by the Appointing Authority;

   (c) "Government" means the Government of Chhattisgarh;

   (d) "Governor" means The Governor of Chhattisgarh;

   (e) "Examination" means competitive examination for recruitment under rules-11;

   (f) "Departmental Examination" means, examination conducted for appointment or promotion to fill up particular post from the employees of the department;

   (g) "Schedule" means a schedule appended to these rules;

   (h) "Schedule Castes" means the Scheduled Castes as specified in relation to this state under Article 341 of the Constitution of India ;

(i) "Schedule Tribe" means the Scheduled Tribes as specified in relation to this state under Article 342 of the Constitution of India;

(j) Other Backward Classes means the Other Backward Classes of citizens as specified by the State Government vide notification no. F-8-5XXV-4-84 dated 26th December 1984 as amended from time to time ;

(k). "Service" means the Chhattisgarh Scheduled Tribes & Scheduled Castes Development Subordinate (Class-III-Non-Ministerial) Service ;

(l) "State" means the State of Chhattisgarh.

3. **Scope and Application** – Without prejudice to the generality of provisions contained in the Chhattisgarh Civil Service (General Condition of Service) Rule, 1961, these rules shall apply to every member of the service.

4. **Constitution of the service** – The Service shall consist of the following persons, namely:-

(i) Persons who at the commencement of these rules are holding substantively the posts specified in the Schedule - I;

(ii) Persons recruited to the service before the commencement of these rules, and

(iii) Persons recruited to the service in accordance with the provisions of these rules.

5. **Classification of scale of pay, etc.-** The classification of the service, the scale of pay attached thereto and the number of posts included in the service shall be in accordance with provisions contained in the Schedule- I:

Provided that the Government may, from time to time, add to or reduce the number of posts, pay scale included in the service either in a permanent or temporary basis.

6. **Method of Recruitment** – (1) Recruitment to the service, after the commencement of these rules, shall be made by the following methods, namely :-

(a) by direct recruitment through competitive examination or by selection or by both as shown in column (4) of Schedule-II; .

(b) by promotion as shown in column (2) of Schedule-IV;

(c) by transfer the persons who hold such post in a substantive capacity in such services as specified in Schedule-II.

(2) The number of persons recruited under clause (b) or clause (c) of sub-rule (1) shall not at any time exceed the percentage shown in schedule-II, of the number of posts as specified in Schedule-I.

(3) Subject to the provisions of these rules, the method or methods of recruitment to be adopted for the purpose of filling any particular vacancy or vacancies in the service as may be required to be filled during any particular period and the number of persons to be recruited by each method, shall be determined on each occasion by the Appointing Authority in consultation with the Government.

(4) Notwithstanding any thing contained in sub-rule (1) if in the opinion of the Government the exigencies of the service so requires he may, after approval of the General Administration Department, adopt such methods of recruitment to the service other than those specified in the said sub-rule, as it may, by order issued in this behalf, prescribe.

(5) Criteria for Selection on merit basis for filling the post by direct recruitment shall be fixed by the Government. However Appointing Authority should set up a selection committee which can adopt other reasonable criteria instead of these criteria with the consent of the Government.

(6) Chhattisgarh Public Service (Scheduled Castes, Scheduled Tribes & Other Backward Classes Reservation) Act, 1994(No 21 of 1994) and directions issued by the General Administration Department from time to time shall be applicable.

7. **Appointment to the service** – All appointments to the service after the commencement of these rules, shall be made by the Appointing Authority and no such appointment shall be made except after selection by one of the methods of recruitment, as specified in rule-6.

8. **Conditions of Eligibility of Direct Recruitment** – In order to be eligible for selection, a candidate must satisfy the following conditions, namely.-

(1) Age- (a) The candidate must have attained the age specified in column (3) of Schedule- III and not attained the age specified in column (4) of the said Schedule on the first day of January next following the date of publication of the advertisment;

(b) The upper age limit shall be relaxable up to a maximum of 5(Five) years if a candidate belongs to Scheduled Caste, Scheduled Tribes or Other Backward Classes;

(c) The upper age limit shall be relaxable up to 10(Ten) years for women candidate in accordance with the provision of rule 7 of the Chhattisgarh Civil Service (Special provision for Appointment of Women) Rule, 1997.

Note:- The upper age limit shall not be more than 45 years after giving relaxation from one or more than one reasons in Government service.

(d) The upper age limit shall also be relaxable in respect of candidates, who are or have been employees of the Government of Chhattisgarh to the extent and subject to the conditions specified below :-

(i) A candidate who is a permanent/officiating/contingencies payee Government servant should not be more than 38 (thiryt eight)years of age;

(ii) A candidate holding a post temporarily and applying for another post should not be more than 38 year of age. This concession shall also be admissible to the contingency paid employees, work charged employees and employees working in the Project Implementing Committees.

(iii) A candidate, who is a retrenched Government servant, shall be allowed to deduct from his age the period of all temporary service previously rendered by him up to a maximum limit of 7(Seven) years even if it represents more than one spell provided that the resultant age does not exceed the upper age limit by more than three years.

Explanation- The term "retrenched Government servant" denotes a person who was in temporary Government service of this State or any of the constituent units for a continuous period of not less than six months and who was discharged because of reduction in establishment not more than three years prior to the date of his registration at the employment exchange or of application made otherwise for employment in Government service.

(e) A candidate who is an ex-serviceman shall allowed to deduct from his age the period of all defense service previously rendered by him, provided that the resultant age does not exceed the upper age limit by more than three year.

Explanation- The "term ex-serviceman" denotes a person who belongs to any of the following categories and who was employed under the Government of India for a continuous period of not less than 6 months and who was retrenched or declared surplus as a result the recommendations of the economy unit or due to normal reduction in establishment not more than three years before the date of his registration at any employment exchange or of application made otherwise for employment in Government service :-

1. Ex-service man released under mustering out concessions;

2. Ex-serviceman enrolled for the second time and discharged on

(a) completion of short term engagement;

(b) fulfilling the conditions of enrolment.

3. Ex-personnel of Madras Civil Unit;

4. Officers (Military and Civil) discharged on completion of their contract including short service Regular Commissioned Officers.

5. Officers discharged after working for more than six months continuously against leave vacancies.

6. Ex-serviceman invalid out of service;

7. Ex-serviceman discharged on the ground that they are unlikely to become efficient soldiers;

8. Ex-serviceman who is medically boarded out on account of gun shot-wounds etc.

(f) The upper age limit shall be relaxble up to 2 (Two)years in respect of green-card holder candidates under the family planning programme;

(g) The upper age limit shall be relaxable up to 5(Five) years in respect of a savarna caste partner of a couple awarded under inter caste marriage incentive programme of the Scheduled Caste and Scheduled Tribe Development Department.

(h) The general upper limit shall be relaxable up to 5(Five) years in respect of Sahid Rajiv Pandey Prize, Gundadhur Award, Maharaja Praveerchand Bhanjdv Award and National Youth Award holder Young Candidate.

(i) The upper age limit for candidates, who are employees of the Chhattisgarh State Corporations/Board, Shall be relaxable up to 38 years.

(j) The upper age limit shall be relaxed in the case of voluntary Home Guards and non- commissioned officers of Home Guards for the period of Sevice rendered so by them subject to the limit of 8 years but in no case thier age shold exceed 38 years.

(k) The instruction issued by the General Administration Department from time to time regarding age limit shall also be applicable.

Note – (1) Candidate who are found eligible for selection under the age concessions mentioned in sub-clause (i) and (ii) of clause (d) above will be eligible, they will not be eligible for appointment if after submitting the application they resign from service either before or after the selection. They will however continue to be eligible if they are retrenched from the service or post after submitting the applications.

(2) In no other case shall these age limits be relaxed, Departmental candidates must obtain previous permission of their Appointing Authority to appear for selection.

(2) Educational Qualifications- The candidate must possess the educational qualifications prescribed for the service as specified in Schedule-III.

(3) Fees – The candidate must pay the fees prescribed by the Appointing Authority.

9. Disqualifications – Any attempt on the part of a candidate to obtain support for his candidature by any means may be held by the Appointment Authority to disqualify him for examination /selection.

10. Appointing Authority's decision about the eligibility of the candidate – The decision of the Appointing Authority as the eligibility or otherwise of a candidate for selection be final and no candidate to whom a certificate of admission has not been issued by the Appointing Authority shall not be allowed to appear in the examination/ interview.

11. (A) Direct recruitment by competitive examination/Selection – (1) Direct recruitment by competitive examination – (i) The Appointing Authority may constitute a selection committee which comprises three members.

(ii) The competitive examination for recruitment to service shall be held at such interval as the appointing authority may, in consultation with the Government. from time to time determine.

(iii) The examination shall be held by the Selection Committee in accordance with the orders issued by the Appointing authority from time to time.

(2) Direct recruitment by Selection –(i) The selection of candidates for recruitment to the service shall be made at such intervals as the Appointing Authority may from time to time determine.

(ii) The selection of candidates for the service shall be made by selection Committee by interviewing them.

(iii) A selection Committee may be constituted by Appointing Authority from time to time.

(3) There shall be reserved posts for person belonging to Scheduled Caste, Scheduled Tribe and Other Backward Classes at direct recruitment in accordance with the provision contained in the Chhattisgarh Lok Seva (Anusuchit Jatiyon, Anusuchit Jan Jation Aur Anya Pichede Vargon Ke liys Arakshan Adiniyam) 1994 "(No. 21 of 1994)

(4) In filling the vacancies so reserved, the candidates who are members of the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes shall be considered for appointment in the order in which their names appear in the list referred to in rule 11 irrespective of their relative rank as compared with other candidates.

(5) Candidates belonging .ɔ the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes by the Appointing Authority to be suitable for appointment to the service with due regard to the maintenance of efficiency of administration may be appointed on the vacancies reserved for the candidates of the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes as the case may be

(6) The 30% post shall be reserved for the women candidates in accordance with the provision of the Chhattisgarh Civil Service (Special Provision for Appointment of Women) Rule, 1997.

(7) Where certain period of experience has been prescribed as an essential condition for filling the posts by direct recruitment and in the opinion of the Appointing Authority it is found that the sufficient number of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes candidates having requisite experience is not likely to be avaiable for recruitment on the reserved posts, then the Appointing Authority may relax the condition of experience in respect of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classses candidates.

(8) There shall be reserved posts for physically handicapped candidates in accordance with the instruction issued by General Administration Department from time to time.

(B) List of the candidates recommended by the Selection committee - (1) The Appointing Authority shall prepare a list arranged in order of merit of the candidates who have qualified by such standards as the Selection Committee may determine and of the candidates belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other backward Classes, who though not qualified by that standard yet are declared by the Selection Committee to be suitable for appointment to the service with due regard to maintenance of efficiency of administration. The list shall also be published for general information.

(2) Subject to the provision of these rules and of Chhattisgarh Civil Services (General Conditions of Service) Rules, 1961, candidates shall be considered for appointment to the available vacancies in the order in which their names appear in the list.

(3) The inclusion of a candidate's name in the list confers no right to appointment unless the Appointing Authority is satisfied, after such enquiry as may be considered necessary that the candidate is suitable in all respect for appointment to the service.

(4) The list shall be valid for a period of one year from the date of issue by the Appointing Authority.

12. Appointment by promotion- (1) There shall be constituted a committee, consisting of the members specified in Schedule for making a preliminary selection for promotion of eligible mentioned candidates. Provided that, for the purpose of consitition of the Committee under this sub-rule, that provisions of Section 8 of the Chhattisgarh Lok Seve (Anusuchit Jatiyon, Anusuchit Jan Jation Aur Anya Pichhede Vargon Ke Liye Arakshan) Adiniyam, 1994 (No. 21 of 1994), shall also be adhered to.

(2) The committee shall meet at intervals ordinarily not exceeding one year.

(3) Promotion shall be made in accordance with the provision of Chhattisgarh Lok Seva (Paddonati) Niyam-2003.

(4) Procedure for making promotion in the reserved vacancies shall be made in accordance with the instructions issued by the Government of Chhattisgarh, General Administration Department from time to time.

13. Conditions of eligibility for promotion/Transfer- The Committee shall consider the cases of all persons who on the 1st day of January of that year had completed the period of service showm in column (3) of Schedule-IV (Whether officiating or substantive) in the post/service mentioned in coloumn (4) of Schedule-IV or any other post or posts declared equivalent thereto by the Government.

Explanation- (1) Manner of computation for eligibility for promotion- The calculation of period of qualifying service on 1st January of the relevant year in which Departmental Promotion Committee/Screening Committee is convened shall be counted from the calendar year in which the public servant has joined the feeder cadre/part of the service/pay scale of the post and not from the date of joining of the cadre/part of the service/pay scale of post.

(2) In the matter of promotion,the provisions of Chhattisgarh Lok Seva (Paddonati) Niyam, 2003 shall be applicable.

(3) Promotion will be done as per the prescribed Reservation Rosted by the Government.

14. Preparation of the list of suitable candidates- (1) The Departmental Promotion Committee shall prepare a list of such persons who satisfy the conditions prescribed in rules 13 above and as are held by the committee to be suitable for promotion to the service. The list shall be sufficient to cover the anticipated vacancies on account of retirements and promotion during the course of one year from the date of preparation of the select list.

(2) The list of suitable officers shall be prepared according to the provisions of Chhattisgarh Lok Seva (Paddonati) Niyam, 2003.

(3) As per the provisions of Chhattisgarh Civil Service (General Condition of the Service) Rule 1961, the name of the persons included in the select list shall be arranged in order of seniority in the service or post as specified in column (2) of Schedule-IV at the time of preparation of each select list.

Explanation-The person whose name is included in the select list but who is not promoted during the validity of the list shall have no claim to seniority over those persons considered in subsequent selection merely by the fact of his earlier selection.

15. Select list – (1)The list as finally approved by the Appointing Authority shall be the select list for promotion of the members of the service from the post mentioned in column (3) of Schedule-IV to the posts mentioned in column (4) of the said Schedule.

(2) The select list shall be valid for 31st December of the calendar year from the date of its preparation.

Provided that, in the event of a grave lapse in the conduct or performance of duties on the part of any person included in the select list, a special review of the select list, may be made at the instance of the Government, and he may if he thinks fit remove the name of such person from the select list.

16. Appointments to the service from the select list –(1) Appointment of the employees included in the select list to posts of borne on the cadre of the service shall follow in accordance with the provision of Chhattisgarh Public Service (Promotion) Rules, 2003.

(2) It shall not ordinarily be necessary to consult the committee before appointment of a person, whose name is included in the select list in the service unless during the period intervening between the inclusion of his name in the select list and the date of his proposed appointment, there occur any deterioration in his work which, in the opinion of the Appointing Authority is such as to render him unsuitable for appointment in the service.

17. Probation- Every person recruited directly of by promotion to the service shall be appointed on probation for a period of two years.

18. Interpretation- If any question arises relating to the interpretation of these rules, it shall be referred to the Government whose decision thereon shall be final.

19. Relaxation- Nothing in these rules shall be construed to limit or abridge the powers of the Governor to deal with the case of any person to whom these rules apply in such manner as may appear to him to be just and equitable:

Provided that a case shall not be dealt with in any manner less favourable to him than that provided in these rules.

20. Saving – Nothing contained in these rules shall affect reservation and other conditions required to be provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes in accordance with rules made ofthe orders issued by the State Government from time to time in this regard.

21. Repeal and Saving – All rules corresponding to these rules and in force immediately before the commencements of these rules are hereby repealed in respect of matters covered by these rules.

Provided that any order made or any action taken under the rules so repealed shall be deemed to have been made or taken under the corresponding provision of these rules.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,

ANIL CHODHARY, Dupty Secretary.

SCHEDULE-I

(See Rule-4 & 5)

Sl. No.	Name of Post included in the Service	No. of Post	Classification	Pay Scales	Remark
1	2	3	4	5	6
1.	**Education/Training. :**				
1.	Assistant Librarian (Office of the Dir.AIPETC, Raipur-01, Office of Addl. Dir.PETC Bilaspur-01, and Jagdalpur-01and Gurukul-01.)	04	Class III Non Ministerial	5200-20200 + Grade Pay 2200	
2.	Librarian (Office of the Dir.TRI-01,/ Office of Dir.AIPETC, Raipur-01, , Office of Addl. Dir.PETC Bilaspur-01, and Jagdalpur-01.)	04	--"--	5200-20200 + Grade Pay 2800	
II.	**Executive :-**				
1	Assistant Statistical Officer (Office of CTD-07 Dying Cadre, Office of Dir.TRI-03, Office of PA-19, Office of AC-06.)	35	--"--	9300-34800 + Grade Pay 4300	
2	Planning Research Asst. (Office of CTD-02, Office of Dir.TRI-14.)	16	--"--	9300-34800 + Grade Pay 4200	
3	Assistant Public Relation Officer (Office of CTD-01.)	01	--"--	9300-34800 + Grade Pay 4300	
4	Police Inspector (Office of Dir.TRI-08)	08	--"--	9300-34800 + Grade Pay 4300	Deputation from Police Department
5	Legal Assistant (Office of Dir.TRI-01)	01	--"--	9300-34800 + Grade Pay 4200	
6	Sub-Engineer (Office of AC-18.)	18	--"--	9300-34800 + Grade Pay 4200	
7	Surveyor (Office of Comm. Wakf Board)	01	--"--	5200-20200 + Grade Pay 2400	
8	Information Assistant (Office of state Wakf board)	01	--"--	5200-20200 + Grade Pay 2400	

9	Programme Assistant (Chhatisgarh Urdu Academy)	01	class III Non Ministrial	5200-20200 + Grade Pay 2400	(On deputation)
10	Publication Assistant (Office of state Wakf board)	01	--"--	5200-20200 + Grade Pay 2400	(On deputation)
11	Patwari (Office of state Wakf board)	01	--"--	5200-20200 + Grade Pay 2200	(On deputation)
12	Museum Assistant (Office of Dir.TRI-01.)	01	--"--	9300-34800 + Grade Pay 4200	
13	Assistant Drafts Man (Office of AC Bilaspur sarguja and Baster-03.)	03	--"--	5200-20200 + Grade Pay 2400	
14	Tracer (Office of AC, Baster and Sarguja-02.)	02	--"--	5200-20200 + Grade Pay 1900	
15	Circle Organizer (Office of Block Education Officer-85.)	85	--"--	5200-20200 + Grade Pay 2800	
16	Investigator	13	--"--	5200-20200 + Grade Pay 2800	
17	Computer Accountant (Office of CTD-01 Dying Cadre, Office of Dir.TRI-01)	02	--"--	5200-20200 + Grade Pay 2400 and 5200-20200 + Grade Pay 2200	
18	Assistant Programmer (Office of CTD-02, Office of Dir.TRI-01)	03	--"--	9300-34800 + Grade Pay 4200	
19	Data Entry Operator (Office of CTD-03, Office of Dir.TRI-01, Office of PA-19, Office of AC-18, BEO-85 Haj Committee-01 ST commission-01 TADP-01.)	129	--"--	5200-20200 + Grade Pay 2200	
20	Driver (Office of CTD-10, Office of Dir.TRI-01, Office of PA-19, Office of AC-18, (Office of Dir.AIPETC, Raipur-02, Office of Addl. Dir.PETC Bilaspur-01, and Jagdalpur-01, Legal cell -01,	53	--"--	5200-20200 + Grade Pay 1900	

SCHEDULE-II

(See Rule-6)

Chhattisgarh Subordinate Service Class III Non Ministerial
Scheduled Castes & Scheduled Tribes Development Department

S.I.	Name of Post included in service	Total number of duty posts	Persentage of number of duty post to be filled in		
			By direct recruitment rule 6 (1) (a)	By Promotion of member of service rule 6 (1) (b)	By Transfer of persons from other service rule 6 (1) (c)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I-	**Education /Training. :**				
1.	Assistant Librarian	04	100%	-	
2.	Librarian	04	-	100%	
II-	**Executive -**				
1	Assistant Statistical Officer	35	50%	50%	Promotion quota will be filled in (1) 25% by promotion from Computer(Accountant) / Investigator (2) 10% By selection from Graduate Assistant (3) 15% By selection from clerk cadre other than Graduate Assistant grade-I by departmental examination as per annexure-A.
2	Planning Research Assistant	16	90%	10%	From Promotion Quota it will be filled from clerical cadre by selection
3	Assistant public relation officer	01	100%	-	
4	Sub Engineer	18	100%	-	
5	Surveyor (Wakf board)	01	100%	-	
6	Measum assistant	01	100%	-	
7	Assistant Draft man	03	50%	50%	
8	Tracer	02	100%	-	

9	Data Entry Operator	129	100%	-	
10	Assistant Programmer	03	100%		Head Office only.
11	Circle Organizer	85	60%	40%	Promotion Quata :- 15% by Selection through departmental Examination from clerk cadre (Asst. grade-02&03) 25% by selection through departmental Examination from Assistant Teacher by departmental examination
12	Police Inspector	08	-	-	100% (on Deputation from police Deptt.)
13	Legal Assistant	01	100%	-	
14	Information Assistant	01	100%	-	-
15	Programme Assistant	01	-	100% (Deputation from Information Broadcasting Deptt.)	
16	Publication Assistant	01	-	100% (Deputation from Information Pubication Deptt.)	
17	Patwari	01	-	100% (Deputation from Revenue Deptt.)	
18	Computer (Accountant)	02	100%	-	
19	Driver	53	100%	-	

ANNEXURE-A

(A) Scheme for making appointment in the posts of Assistant Statistical Officer, Planning Research Assistant and Circle Organizer from among the employees of the ministerial service and educational service by a limited competitive-examination.

1. **Title-** This scheme envisages appointment on the posts of Assistant Statistical Officer, Planning Research Assistant and Circle Organizer by selection from among the employees of the ministerial service and education service in Scheduled Tribe and Scheduled Caste Development Department.

2. **Eligibility- (1)** For the post of Assistant Statistical Officer and Planning Research Assistant only such members of the ministerial services may participate in this scheme who posses the following qualification namely :-

(One) Any person who has been working at least for the last five years continuously in the ministerial service in the schedule Tribe and Schedule Caste Development Department.

(Two) The employee, who fulfills the prescribed educational Qualification for direct recruitment for the post of Assistant grade-I as mentioned in Schedule III viz:- he should be Post Graduate from any recognised university having Economics/ Commerce/ Maths/Statistics/Social or Cultural Anthropology / Sociology/ Applied Psychology or equivalent qualification.

(Three) His age should not exceed 50 years on the 1st January of that year in which the selection is being made. The upper age limit shall be 55 years for the person belonging to the Schedule Caste and Scheduled Tribes.

(Four) There should be no departmental enquiry pending against the candidate or he must have not been punished during the year of examination.

(Five) No employee of the ministerial class shall be allowed to appear in the examination to be held under this scheme for more than three times.

(2) Only such members of the ministerial service and education service may participate in the examination for the post of Circle Organizer who posses the following qualifications:-

(1) Who have been serving at least for the last five years in the ministerial service or in educational service in the Department of Scheduled Tribe and Scheduled Caste Development.

(2) Who possess the prescribed educational qualifications for the recruitment for the post of Circle Organizer as mentioned in schedule-III.

(3) His age should not exceed 50 years on the 1st January of that year in which the selection is being made. The upper age limit shall be 55 years for the person belonging to the Schedule Caste and Scheduled Tribes.

(4) There should be no departmental enquiry against the candidate.

(5) No candidate shall be allowed to appear in the examination for more than three times.

3. Selection- Selection for appointment shall be made on the basis of-

(One) The marks obtained by the successful candidate in the examination to be held under this scheme, and

(Two) The valuation of the Character rolls of the candidate for the last five years concerned.

4. **Examination**-(1) A written examination shall be held every year by appointing authority at such intervals, on such dates and places as may be determined by him.

(2) In written examination there shall be two question papers of which each shall carry 100 marks and shall be of 3 hours of duration. It shall be essential to obtain at least 50 percent marks in each question paper separately for being successful in the examination.

(3) The question paper shall be got prepared by the appointing authority and shall consist of the following subject :-

First paper-(1) General knowledge, General Hindi, General English and Arithmetic's.

Second Paper- (i) General rules of Government Services.

(ii) Knowledge of prevailing terminology in the Department.

Essay writing in respect of department Schemes. Note on Acts, Rules, sub-rules Manual etc. in respect of implementation of Departmental Scheme.

(4) The Syllabus for the question paper will be determined from time to time

(5) Only that employee shall be eligible for admission to the examination who fulfills the qualification mentioned in above para. The applications from the candidates desiring to appear in the examination shall be invited by the appointing authority at least on month prior to the dates prescribed for the Examination. The Applicants found eligible for the admission to the examination shall be informed about the date, places etc. of the examination.

(6) Valuation of the answer books shall be got done by the officers of the department nominated by the appointment authority.

(7) A list of such candidates shall be prepared who have obtained 50 percent or more marks in each paper separately.

5. **Valuation of character rolls and final list of Selection-(i)** Valuation of the character rolls of the last five years of the candidates, whose name are included in the selection list prepared under para 4 (vii) shall be made by the Department Promotion Committee.

(2) The final selection list shall be prepared on the basis of total of marks secured in the examination and in the valuation of the character roll. Appointment shall be made in order of the name appearing in the list against the quota of the posts reserved for this purpose.

6. **Probation-** Every Employee appointed under this scheme shall place on probation for the period of two years. If the employee is found unsuitable for the post during the probation period, he shall be reverted to his previous post.

Schedule-III

(See Rule-8)

Name of Department	Name of Post	Minimum age limit	Upper age limit	Educational Qualification Prescribed
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Schedule Caste and Schedule Tribe Development Department				
I-Education/Training.				
1.	Assistant Librarian	20	30 (for local residents 35)	A Degree from a recognised University and Diploma/Degree in library science.
II- Executive				
1.	Assistant Statistical Officer	21	-"-	At least second class Masters Degree or its equivalent in Economics/Commerce/ Statistics/Mathematics
2.	Planning Research Assistant	21	-"-	At least a second Class Masters Degree or its equivalent in Economics/Commerce/ Mathematics/ Statistics/Social or Cultural Anthropology/Sociology/ Applied Physiology/ Masters Degree in social works.
3.	Assistant Public Relation Officer.	21	-"-	A Graduate from a recognised University or Equivalent qualification and Diploma/Degree in Journalism.
4.	Sub Engineer	20	-"-	Diploma in Civil Engineering
5.	Surveyor	20	-"-	I.T.I. Training with inplant training for six months.
6.	Museum Assistant	21	-"-	Graduate or its equivalent with a Degree or Diploma in Musueology from a recognised institute.
7.	Assistant Drafts man	20	-"-	Certificate Diploma in civil engineering or higher secondary pass and certificate in Drafts Man course.
8	Tracer	20	-"-	Certificate Diploma in civil engineering or higher secondary pass and certificate in Drafts Man course.

9.	Circle Organizer	21	30 (for local residents 35)	Graduate or its equivalent preference will be given to candidates having Masters Degree in Anthropology /Sociology/ Psychology/ Social works/Bachelors degree in education. Preference means if the marks obtain in written Exam./ Interview is equal then the candidate having Masters Degree in Anthropology /Sociology/ Psychology/ Social works/Bachelors degree in education is given Preference in Appointment. In case of equal marks with above said qualification then a candidate given preference whose birth date follows earlier.
10.	Information Assistant	20	-"-	Degree from a recognised University and 2 years experience in Journalism
11.	Legal Assistant	21	-"-	LLB Degree from recognised University and 3 Year Experience of practice in a court
12.	Data Entry Operator	18	-"-	(1)Passed 10+2 Examination from any recognized Board/University or passed class 10th board examination & passed 3 years diploma in any subject. (2) Having one year Diploma in Data entry operator/ Programming from any recognized Institution. (3) 8000 key Depression per hour in Computer Hindi & English is compulsory.
13.	Computer (Accountant)	20	-"-	Degree from a recognised university with Economics/Commerce/ Statistics/Maths as one subject or equivalent qualification and one year diploma in data entry operation/ programming from a recognised institution.
14	Assistant Programmer	20	-"-	Degree from a recognised university and post graduate diploma in computer Application.
15.	Driver	18	-"-	Passed middle examination with Driving license

SCHEDULE-IV
(See Rule-10 and -12)

Name of Department	Name of service or post from which promotion is to be made	Minimum period of Service	Name of Post to which promotion is to be made	Departmental Promotion Committee	Method of Promotion
1	2	3	4	5	6
1. **Schedule Caste and Schedule Tribe Development Department**	Assistant Librarian	5Years	Librarian	1. Additional director- **Chairman** 2. Deputy Commissioner- (Estt.-02/03)- **Member.** 3. Deputy Commissioner- (Edu. Esst.) **Member** 4. Joint Director, Tribal Research and Training Institute **Member.**	Merit Cum Seniotity
Executive					
1.	Computer (Accountant)/ Investigator having degree with Economics/ Statistics/Maths/ Commerce	5 year	Assistant. Statistical Officer (25%posts)	1. Additional director- **Chairman** 2. Deputy Commissioner- (Estt.-02/03)- **Member.** 3. Deputy Commissioner- (Edu. Esst.) **Member** 4. Joint Director, Tribal research and Training Institute **Member.**	
2.	Assistant Grade-1 having degree with Economics/ Statistics/Maths/ Commerce	5 years	Assistant Statistical Officer (10%posts) by selection.	1. Additional director- **Chairman** 2. Deputy Commissioner- (Estt.-02/03)- **Member.** 3. Deputy Commissioner- (Edu. Esst.) **Member** 4. Joint Director, Tribal research and Training Institute **Member.**	
3.	Clerks hiving degree with Econimics/Statistics/ Maths/Commerce subject	5 years	Assistant Statistical Officer (15%posts) by selection.	1. Additional director- **Chairman** 2. Deputy Commissioner- (Estt.-02/03)- **Member.** 3. Deputy Commissioner- (Edu. Esst.) **Member** 4. Joint Director, Tribal research and Training Institute **Member.**	

4.	Clerks having qualification prescribed for Research Assistant in schedule III	5 years	Research Assistant (by selection 10% posts)	1. Additional director- **Chairman** 2. Deputy Commissioner- (Estt.-02/03)- **Member.** 3. Deputy Commissioner- (Edu. Esst.) **Member** 4. Joint Director, Tribal research and Training Institute **Member**.	
5.	Tracer	5 years	Assisttant Drafts man by Promotion.	1. Additional director- **Chairman** 2. Deputy Commissioner- (Estt.-02/03)- **Member.** 3. Deputy Commissioner- (Edu. Esst.) **Member** 4. Joint Director, Tribal research and Training Institute **Member**.	
6.	Asstt.Grade-3/ Asstt. Grade-2 having qualification prescribed for Circle Organiser in Schedule III	5 years	Circle organizer (by selection 15% posts) .	1. Additional director- **Chairman** 2. Deputy Commissioner- (Estt.-02/03)- **Member.** 3. Deputy Commissioner- (Edu. Esst.) **Member** 4. Joint Director, Tribal research and Training Institute **Member**.	
7.	Assistant teacher having qualification prescribed for Circle Organizer in schedule-III	5 years	Circle organizer (by selection 25% posts))	1. Additional director- **Chairman** 2. Deputy Commissioner- (Estt.-02/03)- **Member.** 3. Deputy Commissioner- (Edu. Esst.) **Member** 4. Joint Director, Tribal research and Training Institute **Member**.	

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2011.